व हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 1315/2017 अनवान टीकमाराम बनाम तहसीलदार बाडमेर**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र शिवकर पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 06.06.2018 को अटल सेवा केन्द्र शिवकर पर पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर	
06.06.2018	**आदेश** यह पत्रावली बमुकाम को अटल सेवा केन्द्र शिवकर पर पेश हुई। प्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार बाडमेर उपस्थित। प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि प्रार्थी के पिता भोमा, निम्बा व सोना 03 सगे भाई थी। उनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम शिवकर में खसरा नम्बर 787 रकबा 13.01 बीघा, खसरा संख्या 799 रकबा 141.08 बीघा व खसरा संख्या 803 रकबा 41.13 बीघा कुल रकबा 196.02 बीघा भूमि आई हुई है। चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033 तक खातेदारान का अंकन सही रूप से दर्ज हुआ। प्रार्थी के पिता भोमाराम के स्वर्गवास होने पर पारित नामान्तकरण में तथा जामबन्दी चौसाला में प्रार्थी के पिता का नाम भोपाराम दर्ज कर दिया गया है, जो अशुद्ध नाम है। प्रार्थी ने अपनी वल्दियत भोपाराम के स्थान पर भोमाराम संशोधन करने हेतु निवेदन किया है। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान–2018 हेतु आयोजित शिविर में मजमे आम में उपस्थित लोगों से जानकारी ली गई तथा भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का तथा तहसीलदार बाडमेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने अपने प्रतिवेदन में अंकित किया कि ग्राग शिवकर के नामान्तकरण संख्या 603 दिनांक 06.09.1995 में खातेदार भोपाराम के स्वर्गवास पर उसके पुत्र टीकमाराम पुत्र भोपाराम दर्ज हुआ तथा जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2030 से 2033 में टीकमाराम के पिता का	

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 1315/2017 अनवान टीकमाराम बनाम तहसीलदार बाड़मेर
	नाम भोमाराम दर्ज है। इसके पश्चात् बनी जमाबन्दियों में खातेदार भोपाराम पुत्र डालूराम अंकित हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व तहसीलदार बाडमेर के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि खातेदार भोमाराम पुत्र डालूराम का गत बन्दोबस्त में सही अंकन हुआ एवं सम्वत् 2030 से 2033 तक की जमाबन्दी में उक्त अंकन सही पाया गया, परन्तु भोमाराम की मृत्यु पर पारित नामान्तकरण में भोमाराम के स्थान पर भोपाराम प्रार्थी की वल्दियत अंकित की गई है, जो अशुद्ध है। अतः तहसीलदार बाडमेर के प्रतिवेदनानुसार ग्राम दानपुरा में स्थित खसरा नम्बर 1159/799 रकबा 77.14 बीघा एवं खसरा नम्बर 1172/303 रकबा 20.17 बीघा कुल रकबा 98.11 बीघा भूमि के खातेदार टीकमाराम पुत्र भोपाराम का सही अंकन टीकमाराम पुत्र भोमाराम संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तदानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करावें। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर

Scanned by CamScanner